

**शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-25 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. राम मनोज कनौजिया पुत्र राम सुख नि० कटहर बुटहनी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-306/20, 02. शेष राम गुप्ता पुत्र तिलक राम गुप्ता नि० बलदन पुरवा मौजा कुड़ासन थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-307/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र पुत्ती लाल नि० पहाड़ापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-204/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. अमित उर्फ समय दीन पुत्र दुर्गा नि० बुधई पुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-638/20, 02. राम कुमार पुत्र राम पाल नि० रघुनाथ पुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-639/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना परसपुर पुलिस ने मारपीट करने के वांछित अभियुक्त अन्नू पुत्र सुखलाल मिश्रा नि० पसका पण्डित पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना परसपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-12/20, धारा 323.324.504.308 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने जमीनी विवाद के चलते वादी अजय कुमार पुत्र शिवकुमार मिश्रा नि० पसका पण्डित पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा की लड़की को गाली-गुप्ता देते हुए मारा पीटा था। जिससे वादी की लड़की घायल हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना परसपुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें परसपुर पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर पसका बाजार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**थाना उमरीबेगमगंज ने 01 अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—**

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. कप्तान अली पुत्र सुभान अली नि० खमरौनी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-187/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

**संक्षिप्त विवरण—**

आज दिनांक 04.09.2020 को थाना उमरीबेगमगंज के उ०नि० अश्वनी पाण्डेय मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि कर्बला पुल के पास उक्त अभियुक्त को संदिग्ध दिखने पर रोक टोक कर चेक किया गया तो

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## गिरफ्तार कर्ता—

01. उ0नि0 अश्वनी पाण्डेय।
02. का0 धर्मेन्द्र यादव।

## हिस्ट्रीशीटर अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. कल्लू पुत्र पद्दम नि0 धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—306/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

## अभियुक्त कल्लू का अपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0—45/92, धारा 5/8 गौवद्य निवारण अधि0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—85/95, धारा 5/8 गौवद्य निवारण अधि0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0—226/97, धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0—401/99, धारा 8/20/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0—174/01, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0—86/03, धारा 8/18 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0—138/03, धारा 323.504 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0—32/04, धारा 395 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
09. मु0अ0सं0—16/05, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
10. मु0अ0सं0—99/05, धारा 307 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
11. मु0अ0सं0—16/06, धारा 110 सी0आर0पी0सी0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
12. मु0अ0सं0—44/06, धारा 110 सी0आर0पी0सी0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
13. मु0अ0सं0—122/06, धारा 3/4 गुंडा एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
14. मु0अ0सं0—88/12, धारा 110 सी0आर0पी0सी0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
15. मु0अ0सं0—334/20, धारा 452.323.504.506.326 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
16. मु0अ0सं0—160/13, धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
15. मु0अ0सं0—38/15, धारा 147.148.452.427.232 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
17. मु0अ0सं0— निल/19, धारा 110 जी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

## संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 04.09.2020 को थाना इटियाथोक के उ0नि0 नरसिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि नहर पुलिया दरिया माफी रोड के पास उक्त व्यक्ति को संदिग्ध दिखने पर रोककर चेक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में आर्म्स के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 नरसिंह।
02. का0 संजीव वर्मा।
03. का0 पटेल राय।

## जानलेवा हमले का वांछित अभियुक्त अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. दिलसाद पुत्र इशहाक नि० पटेल नगर घोसियाना थाना को० नगर जनपद गोण्डा ।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—360/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० देहात जनपद गोण्डा ।

### बरामगदी—

01. 01 अदद अवैध पिस्टल 32 बोर मय 01 मिस कारतूस ।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 04.09.2020 को थाना को० देहात के उ०नि० अनुज गुप्ता मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को सोनी गुमटी कासिंग से गिरफ्तार उसके कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व 01 अदद मिस कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त मु०अ०सं०—351/20, धारा 307.504.195 भादवि थाना को० देहात जनपद गोण्डा में भी वांछित चल रहा था। अभियुक्त को थाना को० देहात में पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० अनुज गुप्ता ।
02. का० कमल सिंह ।
03. का० शिव सहाय वर्मा ।

## चोरी की योजना बनाते समय 03 अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमंचा व नाजायज चाकू बरामद—

### गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. दुर्गेश कुमार चौहान पुत्र जानकी प्रसाद नि० गायत्री पुरम थाना को० नगर जनपद गोण्डा ।
02. संजय मिश्रा पुत्र प्रेमनाथ मिश्रा नि० मलारी थाना को० देहात जनपद गोण्डा ।
03. इमरान पुत्र मुन्ना खॉ नि० रकाबगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा ।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—640/20, धारा 401 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा ।
02. मु०अ०सं०—641/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा ।
03. मु०अ०सं०—642/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा ।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस ।
02. 01 अदद नाजायज चाकू ।
03. चोरी करने के उपकरण ।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 04.09.2020 को थाना को० नगर के उ०नि० गोपाल सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्तों को पॉलीटेक्निक के पीछे कच्ची सड़क से चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण बरामद किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त दुर्गेश कुमार चौहान के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व अभियुक्त संजय मिश्रा के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तों को थाना को० नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 गोपाल सिंह ।
02. उ0नि0 मुकेश पाण्डेय ।
03. उ0नि0 नीरज सिंह ।
04. उ0नि0 कृष्ण कुमार सिंह ।
05. उ0नि0 सुभाष यादव ।
06. का0 सत्येन्द्र पाण्डेय ।
07. का0 रोहित ।